GST UPDATE ON RESTRICTION OF ITC UNDER RULE 36(4) DURING COVID-19 PANDEMIC

हमने पिछले अपडेट में भी बताया था कि सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बहुत ही समझदारी पूर्ण बहादुरी वाला कदम उठाया है | उसी समय सरकार ने जनता तथा टैक्सपेयर्स के आने वाली परेशानियों तथा आर्थिक कठिनाई भी समझ रही है | इसके चलते उन्होंने जीएसटी तथा दूसरे एक्ट में पढ़ने वाली ड्यू डेट को स्थगित किया है | जनता के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई तरह की घोषणा की है | आवश्यक वस्तु के सप्लाई को भी बनाए रखने के लिए काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं |

जीएसटी से आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर सरकार से मांग की गई है कि Rule 36(4) के प्रावधानों से भी राहत दी जाए. Rule 36(4) में टैक्सपेयर को जीएसटी क्रेडिट को जीएसटी 2A मै आने वाले इन्वॉयसेस से मैच करना होता है तथा | यह मैच क्रेडिट ही उसे लेना होता है | इसके अलावा वह 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकता है | उद्योग व व्यापार जगत ने मांग है कि इस कठिन परिस्थितियों में, जिसमें व्यापार पूरी तरह से बंद है तथा भुगतान भी कहीं से नहीं आ रहा है, उस वक्त जीएसटी का भुगतान करना काफी मुश्किल होगा | ऐसे समय में क्रेडिट को restrict करके taxpayer को अधिक भुगतान नकद में करने के लिए कहना उसके लिए विषम परिस्थितिय पैदा कर सकता है. अतः मांग जा रही है कि कुछ समय के लिए इसको स्थगित रखा जाए |

व्यापार जगत का कहना है कि उन्होंने सप्लायर को टैक्स का तथा माल का भुगतान कर चुका है परंतु सप्लायर कठिन परिस्थिति मैं GSTR-1 file नहीं कर पा रहा है तो व्यापारी की क्रेडिट नहीं रुकनी चाहिए | अगर ऐसा होता है तो उसे दोबारा भुगतान करन होगा जो उसके लिए और भी कठिन हो जाएगा तथा काफी लोग जीएसटी का रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे |

व्यापार व उद्योग जगत सरकार के साथ करोना के विरुद्ध लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाह रहा है पर उसी समय में सरकार को व्यापार जगत को आने वाली कठिनाइयों को दूर करके इस विषम परिस्थितियों में उसे अपने पांव पर खड़े होने का माकूल माहौल देना चाहिए |